22

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय कैम्प रीवा ग्वालियर म.प्र.

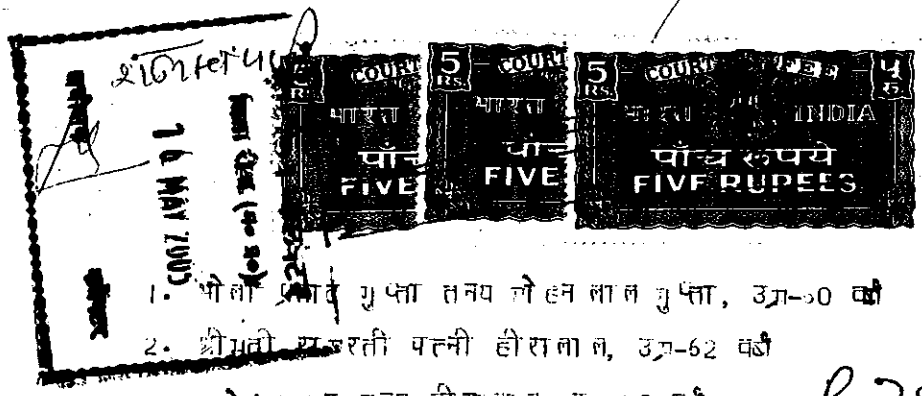

1. भोला प्रसाद गुप्ता तनय मोहन लाल गुप्ता, उम्र-70 वर्ष
2. श्रीमती सरस्वती पत्नी हीरालाल, उम्र-62 वर्ष
3. राजेश प्रसाद तनय हीरालाल, उम्र-28 वर्ष
4. अरुण गुप्ता तनय हीरालाल गुप्ता, उम्र-26 वर्ष
5. सीता पुत्री हीरालाल गुप्ता, उम्र-24 वर्ष
6. गीता पुत्री हीरालाल गुप्ता, उम्र-23 वर्ष
7. राकेश तनय हीरालाल गुप्ता, उम्र-22 वर्ष
8. भूपेन्द्र तनय हीरालाल गुप्ता, उम्र-21 वर्ष
9. नीतू पुत्री हीरालाल गुप्ता, उम्र-20 वर्ष

सभी निवासी ग्राम महाखोर तहसील व थाना मझौली, जिला -सीधी म.प्र.

--- अपी./निगरानीकर्तागण

R 786-III/05

बनाम

1. अमानत तनय मटुक बानीशा. नौगवा तह.सिहावल जिला सीधी म.प्र.
2. इन्द्रलाल गुप्ता तनय बालू गुप्ता, नि.ग्राम नौगवां तह.सिहावल जिला सीधी म.प्र.
3. अनुज प्रताप सिंह तनय श्री समर बहादुर सिंह, सा. पहाड़ी थाना-अमिलिया तह.सिहावल जिला सीधी म.प्र.

--- उत्तरवादीगण/गैर निग.

निगरानी विरुद्ध आदेश आयुक्त महोदय
रीवा संभाग रीवा म.प्र. आदेश दि.
29.3.05 प्र.क्र. 41/अ/04-05

अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा.सं. 1959ई.

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है :-

1- यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत है।

.....2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 786–तीन/2005 निगरानी जिला सीधी

थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14/10/2017	पूर्व पेशी पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने जा चुके हैं प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। 2/ यह निगरानी आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 41/2004–05 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 11–1–2005 के विरूद्व म.प्र.भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास के प्रकरण कमांक 83/03–04 अपील में पारित आदेश दिनांक 13–12–2004 के विरूद्व अपील प्रस्तुत करके म.प्र.भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 52 का आवेदन प्रस्तुत करते हुये स्थगन की मांग की थी किन्तु आयुक्त, रीवा संभाग ने अंतरिम आदेश दिनांक 11–1–2005 से अपील सुनवाई के लिये ग्राह्य कर ली एंव स्थगन नहीं दिया है आयुक्त रीवा संभाग रीवा के अंतरिम आदेश दिनांक 11–1–05 के ॲशभाग को निरस्त कर स्थगन जारी कराया जावे। 3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने आयुक्त, रीवा संभाग ने अंतरिम आदेश दिनांक 11–1–2005 के अवलोकन से परिलक्षित है कि अपर आयुक्त ने इस आदेश में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड बुलायें . रिकार्ड आने के पश्चात् स्थगन पर विचार किया जावेगा। संहिता की धारा 52 में प्रावधान है कि रोक का आदेश देना या न देना न्यायालय के विवेक पर निर्भर है। इस विवेक का प्रयोग न्यायिक रूप से किया जाना चाहिये। आयुक्त के समक्ष रिकार्ड देखे बिना स्थगन पर स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही थी इसलिये अंतरिम आदेश दिनांक 11–1–2005 से आयुक्त व्दारा लिया गया निर्णय उचित है। विचाराधीन निगरानी निरर्थक करना पाये जाने से निरस्त की जाती है। सदस्य	